

श्र साधार ए

EXTRAORDINARY

भाग]] -- खण्ड ३- - उप-खण्ड

PART II-Section 3-Sub-section, (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 27] मई बिल्ली, बुधवार, फरवरी 18, 1970/माघ 29, 1891

No. 27] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 18, 1970/MAGHA 29, 1891

इ स माग में भिन्न पृष्ठ संख्या थी जाती है जिससे कि यह ग्रसग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 18th February 1970

G.S.R. 260.—Whereas the annexed Agreement between the Government of India and the Government of the French Republic for the avoidance of double taxation in respect of taxes on income has been approved in accordance with the laws in force in each of the two Contracting States and the diplomatic notes to this effect have been exchanged today, as required by paragraph (1) of Article XXV of the said Agreement;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Incometax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India thirty days after this date.

ANNEXURE

Agreement between the Government of India and the Government of the French

Republic for the Avoidance of Double Taxation in respect of Taxes on Income.

The Government of India and the Government of the French Republic,

Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation in respect of Taxes on Income,

Have agreed as follows:

ARTICLE I

- (1) The taxes which are the subject of the present Agreement are:
 - (a) in India :

 - -the surtax levied under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964).

(hereinafter referred to as "Indian tex");

- (b) in France:
- -the income-tax on individuals (import sur le revenue des personnes physiques),
 - -the complementary tax (taxe "omplementaire),

(hereinafter referred to as "French tax").

(2) The present Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are subsequently imposed in addition to, or in place of the existing taxes. At the beginning of each year, the competent authorities of India and France shall notify to each other any changes which have been made in their respective taxation laws in the preceding year.

ARTICLE II

- (1) In the present Agreement:
 - (a) The term "India", when used in a geographical sense, means all the territory in which the laws relating to Indian tax are in force;
 - (b) The term "France", when used in a geographical sense, means the european departments and the overseas departments (Guadeloupe, Guiana, Martinique and Reunion);
 - (c) The terms "one of the Contracting States" and "the other Contracting State" mean India or France, as the context requires;
 - (d) The term "person" includes natural persons, companies and all other entities which are treated as taxable units under the tax laws in force in the respective Contracting States;
 - (e) The term "company" means any body corporate and includes any entity which is treated as a body corporate or a company for tax purposes under the laws of the respective Contracting States;

(f) The term "tax" means Indian tax or French tax as the context requires;

- (g) The terms "resident of India" and "resident of France" mean respectively any person who is resident in India for the purposes of India 1 tax and not resident in France for the purposes of French tax, and any person who is resident in France for the purposes of French tax, and any person who is resident in France for the purposes of French tax, and any person who is resident in France for the purposes of French tax and not resident in India for the purposes of Indian tax. A company shall be regarded as resident in India if it is incorporated in India or its business is wholly managed and controlled in India. A company shall be regarded as resident in France if it is incorporated in France or its business is wholly managed and controlled in France;
- (b) The terms "Indian enterprise" and "French enterprise" mean respectively an industrial or commercial enterprise or undertaking carried on by a resident of India and an industrial or commercial enterprise or undertaking carried on by a resident of France; and the terms "enterprise of one of the Contracting States" and "enterprise of the other Contracting State" mean an Indian enterprise or a French enterprise as the context requires;
- (i) The term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on:
 - (aa) The term "fixed place of business" shall include a place of management, a branch, an office, a factory, a workshop, a warehouse, a mine, a quarry or other place of extraction of natural resources.
 - (bb) an enterprise of one of the Contracting States shall be deemed to have a fixed place of business in the other Contracting State if it carries on in that other Contracting State a construction, installation or asembly project or the like.
 - (cc) The use of mere storage facilities or the maintenance of a place of business exclusively for the purchase of goods or merchandise and not for any processing of such goods or merchandise in the country of purchase, shall not constitute a permanent establishment.
 - (dd) A person acting in one of the Contracting States for or on behalf of an enterprise of the other Contracting State shall be deemed to be a permanent establishment of that enterprise in the first-mentioned Contracting State, if
 - 1. he has and habitually exercises in the first-mentioned Contracting State, a general authority to negotiate and enter into contracts for or on behalf of the enterprise, unless the activities of the person are limited exclusively to the purchase of goods or merchandise for or on behalf of the enterprise, or
 - 2. he habitually maintains in the ilrst-mentioned Contracting State a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise from which the person regularly fulfils orders for or on behalf of the enterprise, or
 - 3. he habitually secures orders in the first-mentioned Contracting State, exclusively or almost exclusively, for the enterprise itself or for the enterprise and other enterprises which are controlled by it or have a controlling interest in it. A person from one of the Contracting States who is present in the other Contracting State for not more than three months in the taxable year for the purpose of securing orders shall not be deemed to be habitually securing orders within the meaning of this sub-paragraph.
 - (ee) A broker, a commission agent or other agent of a genuinely independent status who merely acts as an intermediary between an enterprise of one of the Contracting States and a prospective customer in the other Contracting State shall not be deemed to be a permanent establishment in that other Contracting State in cases where such activities do not involve securing of orders within the meaning of sub-paragraph (dd)(3) above.

- (ff) The fact that a company, which is a resident of one of the Contracting States, has a subsidiary company which either is a resident of the other Contracting State or carries on a trade or business in that other Contracting State shall not, of itself, constitute that subsidiary Company a permanent establishment of its parent company;
- (j) The term "Competent Authority" means:
 - --in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance, Department of Revenue, or its authorised representative,
 - —in the case of France, for the purpose of interpretation of the present Agreement, the Minister of Foreign Affairs and for any other purposes, the Minister of Finance or his authorised representative.

(2) In the application of the provisions of the present Agreement in either Contracting State, any term not otherwise defined in the present Agreement shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws in force in that Contracting State relating to the taxes which are the subject of the present Agreement.

ARTICLE III

(1) The industrial or commercial profits (excluding the profits derived from the operation of ships or aircraft) of an enterprise of one of the Contracting States shall not be subjected to tax in the other Contracting State unless the enterprise has a permanent establishment situated in that other Contracting State. If it has such a permanent establishment, the profits attributable thereto shall be subjected to tax only in that other Contracting State.

(2) Where an enterprise of one of the Contracting States has a permanent establishment situated in the other Contracting State, there shall be attributed to such permanent establishment the industrial or commercical profits which it might be expected to derive in that other Contracting State, if it were an independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing on an independent basis with the enterprise of which it is a permanent establishment.

(3) In determining the industrial or commercial profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions all expenses, wherever incurred, reasonably allocable to such permanent establishment, including executive and general administrative expenses so allocable.

(4) In a case where the ascertainment of the correct amount of the industrial or commercial profits of a permanent establisment presents difficulties, such profits may be reasonably estimated with reference to the extent to which the activities of such permanent establishment have contributed to earning of profits.

(5) The term "industrial or commercial profits", as used in this Article, shall not include income in the form of dividends, interest, rents, royalties and similar payments as referred to in paragraph (2) of Article VII, capital gains, remuneration for personal services, or fees for technical services.

ARTICLE IV

Where-

- (a) an enterprise of one of the Contracting States participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of one of the Contracting States and an enterprise of the other Contracting State.

and, in either case, conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which but for those conditions would have accrued to one of the enterprises but by reason of those conditions have not so accrued may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

ARTICLE V

(1) Profits derived by an enterprise of one of the Contracting States from the operation of aircraft shall not be subjected to tax in the other Contracting State unless the aircraft is operated wholly or mainly between places within that other Contracting State.

(2) The provisions of paragraph (1) shall likewise apply in respect of participations in a pooled service, in a joint air transport operating organisation or an international operating agency.

ARTICLE VI

(1) Where an enterprise of one of the Contracting States derives profits through shipping operations carried on in the other Contracting State, the tax leviable on such profits in the other Contracting State shall be reduced by an amount equal to fifty per cent. thereof and the reduced amount of tax payable in that other Contracting State on such profits shall be allowed as a credit against, but in an amount not exceeding, the tax charged in respect of such profits in the first-mentioned Contracting State.

(2) Paragraph (1) shall not apply to profits arising as a result of coastal traffic. The term "coastal traffic" means traffic which originate₃ and terminates in the territorial waters of the same Contracting State.

(3) This Article shall not, in the case of India, affect the provisions of sub-sections (1) to (6) of section 172 of the Income-tax Act, 1961, relating to the assessment of profits from occasional shipping or tramp steamers. When an adjustment is to be made under sub-section (7) of section 172 of the said Act in the case of occasional shipping or tramp steamers, the provisions of paragraph (1) shall apply.

ARTICLE VII

(1) Royalties derived by a resident of one of the Contracting States from sources in the other Contracting State may be taxed in both the Contracting States.

(2) In this Article, the term "Royalties" means payments of any kind received as consideration for the use of, or for the right to use, any copyrights of literary, artistic or scientific works, cinematographic films, patents, models, designs, plans, secret processes or formulae trade marks or for the use of, or for the right to use, industrial, commercial or scientific experience, but does not include any royalty or similar payments in respect of the operation of mines, quarries, or other places of extraction of natural resources.

ARTICLE VIII

Interest on bonds, securities, notes, debentures or any other form of indebtedness derived by a resident of one of the Contracting States from sources in the other Contracting State may be taxed in both the Contracting States

ARTICLE IX

Dividends paid by a company which is a resident of one of the Contracting States to a resident of the other Contracting State may be taxed in both the Contracting States.

ARTICLE X

(1) Income from immovable property may be subjected to tax only in the Contracting State in which the property is situated.

(2) For the purposes of paragraph (1), any royalty or other income derived from the operation of a mine, quarry, or other place of extraction of natural resources shall be regarded as income from immovable property.

ARTICLE XI

Capital gains arising from the sale, exchange or transfer of a capital asset, whether movable or immovable, may be taxed only in the Contracting State in which the capital asset is situated at the time of such sale, exchange or transfer For this purpose, the situs of the shares of a company shall be deemed to be in the Contracting State where the company is incorporated.

ARTICLE XII

(1) Remuneration paid by or out of the funds created by a Contracting State or any political sub-division thereof or a local authority therein to any individual in respect of services rendered to that State or sub-division or local authority shall be taxed only in that Contracting State.

- (2) The provisions of paragraph (1) shall not apply
 - (a) where remuneration is paid by a Contracting State or a political subdivision thereof or a local authority therein to any individual who is a national of the other Contracting State without being a national of the first-mentioned Contracting State, the remuneration in such a case being taxable only in the Contracting State in which the individual is resident;
 - (b) to remuneration paid in respect of services rendered in connection with any trade or business carried on for the purpose of profit by a Contracting State or a political sub-division thereof or a local authority therein referred to in paragraph (1).

(3) The provisions of paragraphs (1) and sub-paragraph (a) of paragraph (2) of this Article shall also apply to remuneration paid by the Reserve Bank of India, the Public Railways Authorities and the Postal Administration of India and the corresponding organisations in France.

ARTICLE XIII

(1) Any pension or annuity derived from sources within one of the Contracting States by an individual who is a resident of the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State.

(2) The term "pension", as used in this Article, means periodic payments made in consideration of services rendered or by way of compensation for injuries received.

(3) The term "annulty", as used in this Article, means a stated sum payable periodically at stated times, during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

ARTICLE XIV

(1) Subject to the provisions of Article XII, salaries, wages or other similar remuneration for services as an employee performed in one of the Contracting States by an individual who is a resident of the other Contracting State may be taxed only in the Contracting State in which such services are rendered.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of this Article, salaries, wages, or other similar remuneration paid to an individual who is a resident of one of the Contracting States for services performed in the other Contracting State shall not be subjected to tax in that other Contracting State and may be subjected to tax in the former Contracting State, if

- (a) he is present in that other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the taxable year concerned, and
- (b) the remuneration is paid by or on behalf of an employer who is not a resident of that other Contracting State, and
- (c) the remuneration is not deducted in computing the profits of a permanent establishment chargeable to tax in that other Contracting State.

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph (1) and (2) of this Article, remuneration for personal services performed aboard a ship or aircraft operated by an enterprise of one of the Contracting States in international traffic shall be taxed only in that Contracting State.

ARTICLE XV

(1) Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be subjected to tax only in the Contracting State where such services or activities are performed.

(2) Income derived by public entertainers, such as theatre, motion picture, radio or television artistes and musicians, and by athletes, from their personal activities as such shall be subjected to tax only in the Contracting State in which such activities are exercised.

ARTICLE XVI

Amounts paid by an enterprise of one of the Contracting States for technical services furnished by an enterprise of the other Contracting State shall not be subjected to tax in the first-mentioned Contracting State except in so far as such amounts are attributable to activities actually performed in the first-mentioned Contracting State. In computing the income so subjected to tax, there shall be allowed as deductions the expenses incurred in the first-mentioned Contracting State in connection with the activities performed in that Contracting State.

ARTICLE XVII

(1) A resident of one of the Contracting States, who, at the invitation of a university, college, school or other recognised educational institution in the other Contracting State, visits that other Contracting State solely for the purpose of teaching or engaging in research at such educational institution for a period not exceeding two years shall not be taxed in that other Contracting State on his remuneration for such teaching or research.

(2) This Article shall apply to an individual engaged in research only if the results of such research are freely available to the general public.

ARTICLE XVIII

(1) An individual who is a resident of one of the Contracting States and is temporarily present in the other Contracting State solely, -

- (a) as a student at a recognised University, college or school in that other Contracting State, or
- (b) as a business apprentice, or
- (c) as the recipient of a grant, allowance or award for the primary purpose of study or research from a governmental, religious, charitable, scientific, literary or educational organisation of the former Contracting State,

shall not be subject to tax in that other Contracting State-

- (i) on the remittances from abroad for the purposes of his maintenance, education, training, study or research, and
- (ii) with respect to any amount representing remuneration for an employment in that other Contracting State if that employment is related with his studies or his training or if it is necessary for his maintenance; and

(iii) the grant, allowance or award,

as the case may be.

(2) An individual who is a resident of one of the Contracting States and is temporarily present in the other Contracting State for a period not exceeding one year as an employee of, or under contract with, an enterprise of the former Contracting State or an organisation referred to in paragraph (1)(c) above solely to acquire technical, professional or business experience from a person other than such enterprise or organisation, shall not be subjected to tax in that other Contrating State on the remuneration for such period in an amount not exceeding 12,000 new French Francs (or its equivalent sum in Indian currency at the official rate of exchange) including remuneration from such person in the other Contracting State. (3) An individual who is resident in one of the Contracting States and is temporarily present in the other Contracting State under arrangements with a Government in that other Contracting State or any agency thereof solely for the purpose of training, study or orientation shall not be subjected to tax in that other Contracting State on remuneration, received from abroad or paid in that other Contracting State for his services directly related to such training, study or orientation, in an amount not exceeding the sum of 15,000 new French Francs (or its equivalent sum in Indian currency at the official rate of exchange) during any taxable year.

ARTICLE XIX

(1) The laws in force in either of the Contracting States will continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where express provision to the contrary is made in the present Agreement. However, a company which is a resident of India and has a permanent establishment in France and which is liable to the tax on income from movable capital under Article 109.2 of the General Code of Taxes of France shall not be charged to that tax on income exceeding the profits attributable to such permanent establishment in accordance with Article III of the present Agreement.

(2) Subject to the provisions of Article VI and paragraph (1) above, where, in the case of a resident of India, any income from sources within France is subjected to tax both in India and in France. India shall allow against the Indian tax payable in respect of such income and within the limit of such Indian tax, a credit of French tax payable in respect of such income; so, however, that where such resident is a company by which surtax is payable in India, the credit aforesaid shall be allowed in the first instance, against the income-tax payable by the company, in India and, as to the balance, if any, against the surtax payable by it in India.

(3) Subject to the provisions of Article VI and paragraph (1) above, in respect of income subject to tax in both the Contracting States, tax shall be determined in the case of a resident of France as follows:

- (a) On royalties mentioned in Article VII derived from sources within India and which have been subjected to tax in India, France shall allow. against the French tax payable in respect of such royalties and within the limit of such French tax, a credit of Indian tax payable in respect of such royalties.
- (b) On interest mentioned in Article VIII derived from sources within India:
 - (i) in cases where such interest has been subjected to tax in India. France shall allow, against the French tax payable in respect of such interest and within the limit of such French tax, a credit of Indian tax payable in respect of such interest;
 - (ii) in cases where, owing to the operation of section 10(15)(iv) of the Income-tax Act, 1961, no Indian tax is payable on such interest. France shall reduce the French tax payable in respect of such interest by an amount equal to fifty per cent. thereof.
- (c) On dividends, mentioned in Article IX, derived from sources within India, France shall allow, against the French tax payable in respect of such dividends and within the limit of such French tax, a credit of an amount equal to thirty per cent, of the gross amount of such dividends. In computing the French tax on such dividends in cases where the Indian tax thereon has been reduced or exempted by the operation of sections 80J, 80K and 80M of the Income-tax Act, 1961, it shall be deemed that the amount by which the Indian tax has been reduced or exempted has been actually paid in India.

(4) Income which, in accordance with the provisions of the present Agreement, is not to be subjected to tax in any Contracting State, may be included in the amount of income to be taken into account for calculating the rate of tax to be imposed in that Contracting State.

ARTICLE XX

The competent authorities of the Contracting States shall upon request, exchange such information (being information available under the respective taxation laws of the Contracting States) as is necessary for carrying out the provisions of the present Agreement. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall not be disclosed to any persons other than those concerned with the assessment and collection of taxes which are the subject of the present Agreement. No information shall, however, be exchanged which would disclose any trade, business, industrial or professional secret or any trade process

ARTICLE XXI

The nationals of one of the Contracting States shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other Contracting State in the same circumstances are or may be subjected. In particular, the citizens of one Contracting State who are subjected to tax in the other Contracting State shall be entitled to the same extent as the citizens of that other Contracting State, to any exemption, deduction, credit or other allowance accorded in consideration of the family circumstances.

ARTICLE XXII

(1) Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the present Agreement, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of the Contracting States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident.

(2) The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the present Agreement.

(3) The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties arising as to the interpretation or application of the present Agreement.

(4) The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

ARTICLE XXIII

(1) The present Agreement may be extended, either in its entirety or with necessary modifications, to Overseas Territories of the French Republic, which impose taxes substantially similar in character to those to which the present Agreement applies. Any such extension shall take effect from such date and subject to such modifications and conditions (including conditions as to termination) as may be specified and agreed to between the Contracting States in notes to be exchanged through diplomatic channels.

(2) Unless otherwise agreed to by both Contracting States, the termination of the present Agreement by one of the Contracting States under paragraph (3) of Article XXV shall also terminate the application of the present Agreement to any territory to which it has been extended under this Article.

ARTICLE XXIV

The competent authorities of the two Contracting States may consult together as may be necessary to prescribe regulations necessary to carry into effect the present Agreement within the respective Contracting States. They may communicate with each other directly for the purpose of giving effect to the present Agreement.

ARTICLE XXV

(1) The present Agreement shall be approved in accordance with the laws in force in each of the two States. It shall enter into force thirty days after the

-- - -- -

exchange of letters certifying that the proper procedure was fulfilled in each. State. The exchange of letters shall take place at New Delhi.

-- ----

- (2) The present Agreement shall thereupon be applicable:
 - (a) In India, in respect of income derived during the "previous years" beginning on or after the inst day of January of the calendar year in which the exchange of letters takes place;
 - (b) In France, in respect of income derived during the years of assessment beginning on or after the first day of January of the calendar year in which the exchange of letters takes place.

(3) This Agreement shall continue in effect indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year after 1971, give to the other Contracting State notice of termination, and in such event, the present Agreement shall cease to be effective:

- (a) In India, in respect of income derived during the "previous years" beginning on or after the first day of January of the calendar year next following the calendar year in which such notice is given;
- (b) In France, in respect of income derived during the years of assessment beginning on or after the first day of January of the calendar year next following the calendar year in which such notice is given.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed the present Agreement.

Done at Paris, on the 26th day of March. 1969 in duplicate in the French and Hindi languages, both texts being equally authentic.

For the Government of India.

Sd./- D. N. CHATTERJEE

For the Government of the French Republic.

Sd. / HERVE ALPHAND

Paris-

26th March, 1969.

Monsieur le Ministre,

The Agreement between the Governments of India and the Republic of France for the avoidance of double taxation in respect of taxes on income, being signed today. I have the honour, on behalf of my Government, to propose as follows:

(1) Where a resident of one of the Contracting States fulfils an order for sale of machinery to a resident of the other Contracting State and it is incidental to the sale of the machinery that a person or persons employed by the resident of the first-mentioned Contracting State should proceed to the other Contracting State for assisting in the installation of the machinery therein, such activity shall not be deemed to constitute a permanent establishment unless it is carried on for a period exceeding three months or the expenses incurred on such activity are more than 10 per cent. of the total sale price for the order.

(2) (a) Where a person, who is a resident of India, visits France in connection with any activity under the terms of the Agreement, dated 7th June 1966, concerning Cultural, Scientific and Technical Co-operation between the Government of India and the Government of the French Republic, he shall not be taxable in France in respect of the remuneration received by him in connection with such activity.

(b) Where a person, who was domiciled in France, visits India in connection with any activity under the terms of the Agreement, dated 7th June, 1966, concerning Cultural, Scientific and Technical Co-operation between the Government, of India and the Government of the French Republic, he shall not be taxable

in India in respect of the remuneration received by him in connection with such activity. In that case, the part of such remuneration received from French sources shall be subject to French income tax.

I shall be grateful if you confirm your agreement to the above proposals and that in such case, this letter and your reply thereto, shall be deemed to be part of the Agreement.

Please accept. Monsieur le Ministre, the assurance of my highest consideration.

Sd./- D. N. CHATTERJEE,

Monsieur Herve Alphand, Secretary General, Ministry of External Affairs, Paris.

> Paris 26th March, 1969.

Monsieur l'Ambassadeur,

By your letter of today's date, you, on behalf of the Government of India, informed me of the following:—

- "The Agreement between the Governments of India and the Republic of France for the avoidance of double taxation in respect of taxes on income, being signed today, I have the honour, on behalf of my Government, the propose as follows:
 - (1) where a resident of one of the Contracting States fulfils an order for sale of machinery to a resident of the other Contracting State and it is incidental to the sale of the machinery that a person or persons employed by the resident of the first-mentioned Contracting State should proceed to the other Contracting State for assisting in the installation of the machinery therein, such activity shall not be deemed to constitute a permanent establishment unless it is carried on for a period exceeding three months or the expenses incurred on such activity are more than 10 per cent. of the total sale price for the order.
 - (2) (a) Where a person, who is a resident of India, visits France in connection with any activity under the terms of the Agreement, dated 7th June, 1966, concerning Cultural, Scientific and Technical Co-operation between the Government of India and the Government of the French Republic, he shall not be taxable in France in respect of the remuneration received by him in connection with such activity.
 - (b) Where a person, who was domiciled in France, visits India in connection with any activity under the terms of the Agreement, dated 7th June, 1966. concerning Cultural, Scientific and Technical Cooperation between the Government of India and the Government of the French Republic, he shall not be taxable in India in respect of the remuneration received by him in connection with such activity. In that case, the part of such remuneration received from French sources shall be subject to French income tax."

I have the honour to inform you that this proposal meets with the approval of the Government of the French Republic. It is, therefore, confirmed that your letter of today's date and my reply thereto shall form part of the Agreement.

Please accept, Monsieur l'Ambassadeur, the assurance of my highest consideration.

Sd./ HERVE ALPHAND

His Excellency Shri D. N. Chatterjee, Ambassador of India. Paris.

[No. 20/F. No. 11(33-a)-63/TPL.] R. N. MUTTOO, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व ग्रौर बीमा विभाग)

<u>श्रधिसू</u>चना

श्रायकर

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1970

सा० का०नि० 260—यतः श्राय पर करों के बारे में क्षेहरे कराधान से बचने के लिए भारत सरकार श्रीर फ्रांसीसी गणराज्य की सरकार के बीच किया गया उपाबद्ध करार उक्त करार के श्रनुच्छेद 25 के पैरा(।) की अपेक्षानुसार दोनों संविदाकारी राज्यों में ने हर एक में प्रवृत्त विधि के श्रनुसार श्रनु-मोदित हो गया है श्रीर इस श्राशय के राजनयिक पत्नों का विनिम्थ श्राज हो गया है ।

अतः ग्रब भ्रायकर ग्रधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और कम्पनी (लाभ) ग्रतिकर भ्रधिनियम 1964 (1964 का 7) की धारा 24-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि उक्त करार के सभी उपबन्धों को भारत संघ म इस तारीख से 30 दिन पश्चात प्रभावी किया आएगा ।

उपबन्ध

द्याय पर करों के बारे में दोहरे कराघान से बचने के लिए भारत सरकार ग्रौर फ्रांसीसी गणराज्य की सरकार के बीच करार ।

भारत सरकार श्रौर फ्रांसीसी गणराज्य की सरकार ने श्राय पर करों के बारे में दोहरे कराधान में बचने के लिए करार करने की इच्छा से निम्नलिखित करार किया है :

ग्रनुच्छेद 1

- (1) वे कर जो वर्तमान करार का विषय हैं इस प्रकार है :
 - (क) भारतमः
- --- आयकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) के प्रधीन उदगृहोत श्रायकर तथा आयकर पर कोई श्रधिभार

मौर

--- कम्पनी (लाभ) भ्रतिकर श्रधिनिथम, 1964 (1964 का 7) के श्रधीन उद गृहीत श्रनिकर (एतस्मिनपःखात् ''भारतीय कर'' के रूप में निर्दिष्ट)

(ख) फांस में :

- --- व्यष्टियों पर आयकर (ऐंपोस्यूर्रल रेवेन्यू दे-पर्सों फीजीक) :
- --- पूरक कर (ताक्स काम्लेमेंसर्र)
- कम्पनियों तथा ग्रन्थ विधिक सत्ताभ्रों के लाभों पर कर (ऐंपोस्यूले बेने फीसदे सीसीयत एश्रोज्ञ पसों मोराल)

(एतस्मिन्पश्चात् "फ्रांसीसी कर" के रूप में निर्दिष्ट) ।

(2) वर्तमान करार किन्हीं समरूप या सारतः वेसे ही करों को भी लागू होगा जो विद्यमान करों के म्रतिरिक्त या उन के स्थान में तत्पक्ष्वात् श्रधिरोपित किए जांए। हर वर्ष के म्रारम्भ में भारत भौर फ्रांस के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे को वे तबदीलियां ग्रधिसूचित करेंगे जो पूर्ववर्ती वर्ष में उनकी ग्रपनी कराधान विधियों में की गई हों।

ग्रनुच्छेर 2

(1) वर्तमान करार में :

- (क) "भारत" शब्द से जब वह भौगोलिक श्रर्थ में प्रयुक्त किया जाए वह सब राज्य क्षेत्र प्रभिन्नेत है जिसमें भारतीय कर से सम्बद्ध विधियां प्रयुक्त हैं:
- (ख) "फ़ांस" शब्द से जब वह भौगोलिक अर्थ में प्रयुक्त किया जाए यूरोपीय डिपार्टमेंट ग्रौर समुद्रपार डिपार्टमेंट (ग्वादलप, गी ग्राना, मार्तीनीक ग्रौर रनीश्रों) श्रभिप्रेक्ष हैं ;
- (ग) "संविदाकारी राज्यों में से एक" और "दूसरा संविदाकारी राज्य" पदों से संदर्भानुसार भारत या फांस अभिप्रेत हैं;
- (ष) ''व्यक्ति'' सब्द के अन्तर्गत नैर्सागक व्यक्ति, कम्पनियां और सब भ्रन्य सत्ताएं भाती हैं जिन को उन्हीं संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कर विधियों के श्रघीन कराधेय युनिर्टों के रूप में माना जाता है ;
- (ङ) "कम्पनी" शब्द से कोई निगमित निकाय श्रमिप्रेत है और कोई ऐसी सत्ता जो उन्हीं संविदाकारी राज्यों की विधियों के श्रधीन कर के प्रयोजनों के लिए निगमित निकाय या कम्पनी के रूप में मानी जाती है, इस के श्रन्तर्गत श्राती है ;
- (च) "कर." शब्द से संदर्भानुसार भारतीय कर या फांसीसी कर ग्रभिप्रेत है ;
- (छ) "भारत का निवासी" ग्रौर "फ्रांस का निवासी" पदों से क्रमशः वह व्यक्ति जो भारतीय कर के प्रयोजनों के लिए भारत में निवासी है ग्रौर फ्रांसीसी कर के प्रयोजनों के लिए फ्रांस में निवासी नहीं है, तथा वह व्यक्ति जो फ्रांसीसी कर के प्रयोजनों के लिए फ्रांस में निवासी है ग्रौर भारतीय कर के प्रयोजनों के लिए भारत में निवासी नहीं है, ग्रभिप्रेत है । कोई कम्पनी भारत में निवासी के रूप में समझी जाएगी यदि वह भारत में निगमित है या उसके कारबार का सम्पूर्ण प्रबन्ध नियंत्रण भारत में किया जाता है ।

कोई कम्पनी फ्रांस में निवासी के रूप में समझी जाएगी यदि वह फ्रांस में निगमित है या उसके कारवार का सम्पूर्ण प्रबन्ध श्रौर नियन्त्रण फ्रांस में किया जाता है ।

- (ज) "भारतीय उद्यम" और "फ्रांसीसी उद्यम" पदों से कमशः भारत के निवासी द्वारा चलाया गया श्रौद्योगिक या वाणिज्यिक उद्यम या उपक्रम तथा कांस के निवासी द्वारा चलाया गया श्रौद्योगिक या वाणिज्यिक उद्यम या उपक्रम श्रभिप्रेत है श्रौर "संविदाकारी राज्यों में से एक का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पदों से संदर्भानुसार भारतीय उद्यम या फ्रांसीसी उद्यम श्रभिप्रेत है ;
- (झ) "स्थायी स्थापन" पद से कारवार का वह नियत स्थान भ्रभिप्रेत है जिसमें उद्यम का कारबार सम्पूर्णतः या भागतः चलाया जाता है :

- (कक) "कारबार का नियत स्थान" पद के अन्तर्गत प्रबन्ध का स्थान, शाक्षा, कार्यालय, कारखाना कर्मशाला, भाण्डागार, खान, खदान या प्राकृतिक साधनों के निष्कर्षण का अन्य स्थान ग्राएगा ;
- (खख) संविदाकारी राज्यों में से एक के उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में कारबार का नियत स्थान समझा जाएगा यदि वह उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कोई सन्निर्माण, प्रतिष्ठापन या समंजन परियोजना या तद्रप कार्य जलाता है।
- (गग) कय वाले देश में, भंडारकरण की सुविधा माल्न का उपयोग या मालों या वाणिज्या के केवल कय के प्रयोजन के लिए न कि ऐसे मालों या वाणिज्या के किसी प्रसंस्करण के लिए कारबार का स्थान बनाए रखना स्थायी स्थापन गठिल नहीं करेगा ।
- (भाष) संविदाकारी राज्यों मेंप्से एक में दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के लिए या उस की ब्रोर से कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथम बर्णित संविदाकारी राज्य में उस उद्यम का स्थायी स्थापन समझा जाएगा, यदि :---
 - वह उस उद्यम के लिए या उसकी आरे से बातचीत और संविदा करने का साधारण प्राधिकार प्रथम वॉणन संविदाकारी राज्य में रखता है और उसका प्रयोग करता रहता है, तब के सिवाय जब कि उस व्यक्ति के क्रियाकलाप उस उद्यम के लिए या उसकी भोर से माल या वाणिज्या के केवल कय तक परिसीमित हैं, या
 - (2) वह उस उद्यम के माल या वाणिज्या का स्टाक प्रथम वर्णित संविदाकारी राज्य में सदा बनाए रखता है जिसमें से वह व्यक्ति उस उद्यम के लिए या उसकी क्रोर से आर्डरों की पूर्ति नियमित रूप से करता है, या
 - (3) वह प्रनन्यतः या लगभग प्रनन्यतः उसी उद्यम के लिए या उस उद्यम भौर उन प्रन्य उद्यमों के लिए, जो तदद्वारा नियंत्रित हैं या उसमें नियंत्रक हित रखते हैं, प्रथम वर्णित संविदाकारी राज्य में ग्रार्डर प्राप्त करता रहता है। संविदाकारी राज्यों में से एक या कोई व्यक्ति जो आर्डर प्राप्त करने के लिए कराधेय वर्ष में तीन मास से ग्रनधिक के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में उपस्थित रहता है, इस उप-पैरा के ग्रर्थ के ग्रन्दर ग्रार्डर प्राप्त करते रहने वाला नहीं समझा जाएगा ।
- (करु) वास्तविक स्वतन्त्र प्रास्थिति वाला कोई दलाल, कमीशन अभिकर्ता या अन्य अभिकर्ता जो संविदाकारी राज्यों में से एक के उद्यम श्रौर दूसरे संविदाकारी राज्य में भावी ग्राहक के बीच केवल मध्यम के रूप में कार्य करता है उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उन मामलों में स्थायी स्थापन नहीं समझा जाएगा जिन में ऐसे कियाकलाप ऊपर वाले उप पैरा (घष) (3) के श्रर्थ के श्रन्दर श्राईरों का प्राप्त करना श्रन्तर्वलित नहीं करते ।
- (चच) केवल यह तथ्य कि किसी कम्पनी की, जो संविदाकारी राज्यों में से एक की निवासी है, कोई ऐसी समनुष्ठंगी कम्पनी है. जो या तो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है या उस दूसरे संविदाकारी राज्य में व्यापार या कारबार चलाती है, उस समनुषंगी कम्पनी को घ्रपनी मूल कम्पनी का स्थायी स्थापन नहीं बनाएगा।

- (ञ) सक्षम प्राधिकारा पद में अभिप्रेत है :
- भारत के मामले में, केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग या उसका प्राधिकृत पतिनिधि,
- —— फ्रांस के सामले में, वर्तमान करार के विवचिन के प्रयोजनों के लिए, विदेशमंत्री तथा किन्ही ग्रन्य प्रयोजनों के लिए वित्त संत्री या उस का प्राधिकृत प्रतिनिधि ।

(2) संविदाकारी राज्यों में से किसी में वर्तमान करार के उपबन्धों को लानू करने में किसी पद का`जो वर्तमान करार में ग्रन्यथा परिभाषित नहीं है, ग्रर्थ, जब तक कि संदर्भ से भन्यया भ्रपे-क्षित न हो, वही होगा जो उस संविदःकारी राज्य में उन करों के बारे में जो वर्तमान करार के विषय हैं, प्रवृत्त विधियों के ग्रधीन उसका है।

श्मनुष्छेद

(1) संविदाकारी राज्यों में से एक के उद्यम के ब्रौद्योगिक या वाणिज्यिक लाभों पर (जिन के ग्रन्तर्गत पोतों या विमानों के संजालन से व्यूत्पन्न लाभ नहीं ब्राते हैं) कर दूसरे संविदाकारी राज्य में तब तक न लगाया जाएगा जब तक कि उस उद्यम का उस दूसरे संविदाकारी राज्य में एक स्थायी स्थापन स्थित न हो । यदि उसका ऐसा स्थायी स्थापन है तो उससे हुए माने जा सकने वाले लाभों पर कर केवल उस दूसरे संविदाकारी राज्य में ही लगाया जाएगा ।

(2) जहां कि संविदाकारी राज्यों में से एक के उद्यम का स्थायी स्थापन दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित है वहां वे श्रौद्योगिक या वाणिज्यिक लाभ ऐसे स्थायी स्थापन से हुए माने जाएंगे जिन के उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उस को व्यूत्पन्न होने की प्रत्याशा उस दशा में हो जिसयें कि वह उन्हीं या वैसी ही शर्तों के श्रघीन उन्हीं या वैसे ही कार्यकलापों में लगा हुआ झौर उस उद्यम से, जिसका वह स्थायी म्थापन है, स्वतन्त्र प्राधार पर ब्यौहार करने वाला एक स्वतन्त्र उद्यम होता :

(3) स्थायो स्थापन के झौद्योगिक या वाणिज्यिक लाभों का ग्रववारण करने में, **ऐछ क्षा**यो स्**धापन को युक्तियुक्त रूप में म्राबंटनीय सभी व्ययों की, चाहेव कही भी उपगत किए गए हों, जिम** के भन्तर्गत इस प्रकार झाबंटनीय कार्यपालीय भौर साधारण प्रणासनिक व्यय भी झाते हैं, कटौसी अनुद्यात की ¦जाएगी ।

(4) उस दशा में जिसमे कि स्थायी स्थापन के औद्योगिक या वाणिज्यिक लाभों की क्रीक-ठीक रकम ग्रभिनिष्चित करने में कठिनाइयां उपस्थित हों, ऐसे लाभों का युक्तियुक्त प्राक्कलन, लाभों के उपार्जन में ऐसे स्थायी स्थापन के कार्यकलापों से हुए प्रभिदाय के विस्तार के प्रनि निर्देश से किया जा सकेगा।

(5) इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त ''श्रौद्योगिक या वाणिज्यिक लाभ'' पद के अन्तर्गत लाभांश व्याज, भाटक, स्वामित्व श्रौर समरूप संदाय जो अनुच्छेद 7 के पैरा (2) में विनिर्दिग्ट है, पूंची में भ्रमिलाभ, व्यक्तिगत सेवाग्रों के लिए पारिश्वमिक, या तकनीकी सेवाभ्रों के लिए फोस के रूप में भाय नहीं ग्राएगी। ग्रनच्छेद 4

जहां कि ----

- (क) संविदाकारी राज्यों में में एक का उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबन्ध, नियंत्रण या पंजी में प्रत्यक्षतः या परोक्षतः भाग लेता है, या
- (ख) संविदाकारी राज्यों में में एक के उ डम श्रौर दूसरे संविदाकारी राज्य के उडा के प्रबन्ध , नियंत्रण या पूंजी में वे ही व्यक्ति प्रत्यक्षतः या परोक्षतः भाग लेते हैं,

भोर क्षेत्रों ही दशाओं में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक या किसीय सम्बन्धों में ऐसी शर्तें लगाई या अधिरोपित की जाती हैं, जो वैसी शर्तों से भिन्न हैं जैसी स्वतन्त्र उद्यमों के बीच लगाई जातीं, बहां ऐसे कोई लाभ जो यदि वे शर्तें न होतीं तो उद्यमों में से एक को प्रोद्भूत हुए होते किन्सु उन शर्तों के कारण एसे प्रोदभूत नहीं हुए, उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किए जा सकेंगे और तदनसार उम पर कर लगाया जा सकेगा।

<mark>ग्रन्च्छेद</mark> 5

(1) संविदाकारी राज्यों में से एक के उद्यम द्वारा विमान संचालन से व्युत्पन्न लाभ पर दूसरे संविदाकारी राज्य में तब तक कर नहीं लगाया जाएगा जब तक कि उस विमान का संचालन पूर्णतः या मुख्यतः दूसरे संत्रिदाकारी राज्य के भीतर के स्थानों के बीच नहीं किया जाता ।

(2) इसी प्रकार पैरा (1) के उपबन्ध संयुक्त विमान परिवहन संचालन संगठन या भ्रन्त-र्राष्ट्रीय संचालन श्रभिकरण में पुलित सेवा में भाग लेने के बारे में भी लागू होंगे।

मनुच्छेद 6

(1) जहां कि संविदाकारी राज्यों में से एक का उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में पोत परिवहन संचालन से लाभ व्यत्पन्न करता है वहां दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसे लाभों पर उद्ग्रणीय कर में स उतनी रकम घटा दी जाएगी जितनी उसके पचास प्रतिशत के बराबर है, श्रीर कर की घटा ई गई रकम जो ऐसे लाभों पर दूसरे संविदकारी राज्य में संदेय है, उस कर खाते, किन्तु उस कर से स्रनधिक रकम तक ही, जमा की जाएगी, जो प्रथम बर्णित संविदाकारी राज्य में ऐसे लाभोंके बारे में प्रभारित किया जाता है।

(2) पैरा (1) समुद्र तटीय यातायात के फलस्वरूप उद्भूत होने वाले लाभों को लागू नही होगा । ''सम्द्र तटीय यातायात'' पद से वह यातायात स्रभिप्रेत है जिसका प्रारम्भ स्रौर अन्त एक ही संधिदाकारी राज्य के प्रादेशिक जल प्रांगण में होता है ।

(3) यह ग्रनुच्छद, भारत के मामले में, ग्रायकर अधिनियम, 1961 की धारा 172 की उपधारा (1) से (6) तक के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेगा जो काथाचिस्क पोत परिवहन या ट्राम्प स्टीमरों से होने वाले लाभों के निर्धारण से संम्बद्ध है। जब कादाचिरक पोत परिवहन या ट्राम्प स्टीमरों की दशा में उक्त अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (7) के अधीन समायोजन किया जाना हो, तब पैरा (7) के उपबन्ध लागू होंगे। •______

ग्रनुच्छेद 7

(1) संविधाकारी राज्यों में से एक के निवासी को दूसरे संविदकारी राज्य में के स्रोतों में व्यत्यक्ष स्वासिस्वों पर दोंनों संविदाकारी राज्यों में कर लगाया जा सकेगा।

(2) इस भनुच्छेद में "स्वामिस्व" शब्द से साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कृतियों, चलचित्र फिल्मों, पेटेन्टों, प्रतिमानों, डिजाइनो, रेखांकनों, गोपनीय प्रक्रियायों या सूत्रों, व्यापार चिन्हों के उपयोग के लिए या उपयोग करने के अधिकार के लिए, या औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपस्कर के उपयोग के लिए या उपपोग करने के अधिकार के लिए या औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपस्कर के उपयोग के लिए या उपपोग करने के अधिकार के लिए या औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपस्कर के उपयोग के लिए या उपपोग करने के अधिकार के लिए या औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपस्कर के उपयोग के लिए या उपपोग करने के अधिकार के लिए या प्रौद्योगिक, वाणि-ज्यिक या वैज्ञानिक प्रनुभव से संपृक्त जानकारी के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी प्रकार का संदाय भीभिप्रेत है, किन्तु खानों, खदानों, या प्राकृतिक साधनों के निष्कर्षण के श्रन्य स्थानों के संक्रियण के बारे में कोई स्वामिस्व या तद्रुप संदाय इसके अन्तर्गत नही आते ।

ग्रन्च्छेद 8

संविदाकारी राज्यों में से एक के निवासी को दूसरे सविदाकारी राज्य में के स्रोतों से बन्धपत्नों, प्रतिभूतियों, नोटों, डिबेन्जरों या किसी श्रन्य प्रकार की ऋणिता पर व्युत्पन्न व्याज पर दोनों संविद-कारी राज्यों में कर लगाया जा सकेगा ।

ग्रनुच्छेद 9

किसी कम्पनी द्वारा जो संविदाकारी राज्यों में में एक की निवासी है, दूसरे- संविदाकारी राज्य **के निवासी को दिए गए लाभांगों पर दोनों** संविदाकारी राज्यों में कर लगाया जा सकेगा ।

भ्रनुच्छेद 10

(1) स्थावर सम्पत्ति से भाय पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में लगाया जा सकेगा जिसमें सम्पत्ति स्थित हो ।

(2) पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए, किसी खान, खदान या प्राक्ततिक साधनो के निष्कर्षण के भग्य स्थान के संक्रियण से व्यूत्पन्न कोई स्वामिस्व या अन्य श्राय स्थावर सम्पत्ति से श्राय समझी जाएगी

धनुच्छेद 11

पूंजी-मास्ति के, चाहेवह स्थावर हो या जंतम, विक्रय, विनिमय या ग्रन्तरण से उद्भूत पूंजी में मभिलाभ पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें पूंजी-श्रास्ति ऐसे विक्रय, विनिमय या ग्रन्तरण के समय स्थित है। इस प्रयोजन के लिए कम्पनी के ग्रंशों का स्थान उसे संविदाकारी राज्य में समझा जाएगा जिसमें वह कम्पनी निगमित है।

.

श्रनुःच्छेद 12

(1) सविदकारी राज्य या उसके किसी राजनीतिक उपखण्ड या उसमें के स्थानीय प्राधि-कारी द्वारा या एतद्वारा सृष्ट निधियों में से किसी ध्यष्टि को उस राज्य, उपखण्ड या स्थानीय प्राधिकारी की कृतसेवा के बारे में संदत्त पारिश्रमिक पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही लगाया जाएगा ।

(2) पैरा (1) के उपबन्ध ---

- (क) वहां लागू नहीं होंगे जहां कि पारिश्रमिक, संविदाकारी राज्य या उसके राजनी-तिक उपखण्ड या उसमें के स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ऐसे किसी व्यष्टि को संदत्त किया जाता है जो प्रथम वर्णित संविदाकारी राज्य का राष्ट्रिक न होते हुए दूसरे संविदाकारी राज्य का राष्ट्रिक है जिस दथा में कि पारिश्रमिक केवल उस संविदाकारी राज्य में कराधेय होगा जिसमें वह व्यक्ति निवासी है,
- (ख) पैरा (1) में निर्दिष्ट संविदाकारी राज्य या उसके राजनीतिक उपखण्ड या उसमें के स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लाभ के प्रयोजन के लिए चलाए जा रहे किसी व्यापार या कारबार के संसंग में की गई सेवाधों के बारे में संदत्त पारिश्रमिक को लागू नहीं होंगे।

(3) इस अनुच्छेद के पैरा (1) और पैरा (2) के उप-पैरा (क) के उपबन्ध रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, भारत के पब्लिक रेल प्राधिकारी और डाक प्रशासन द्वारा तथा फ़्रांस के तत्स्थानी अंगठनों द्वारा संदत्त पारिश्रमिक को भी लागू होंगे।

ग्रनुच्छेद 13

(1) संविदाकारी राज्यों में से एक के भीतर वाले श्रोतों से किसी व्यष्टि को जो दूसरे संविदा-कारी राज्य का निवासी है व्युत्पन्न कोई पेंशन या वार्षिकी केवल प्रथम वर्णित संविदाकारी राज्य में कराधेय होगी।

(2) इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "पेंशन" शब्द से वे कालिक संदाय भभिप्रेत है जो की गई सेवाओं के प्रतिफलस्वरूप या उठाई गई क्षतियों के लिए प्रतिकर के रूप में किए जाएं।

(3) इस ग्रनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "वार्षिकी" "शब्द" से वह कथित, राशि अभिप्रेत हैं जो यथायोग्य श्रौर पूर्ण प्रतिफल के बदले धन के रूप में या धन के समतुल्य संदाय करने की बाध्यता के अधीन जीवन के दौरान या किसी विनिदिष्ट या श्रभिनिष्चेय कालावधि के दौरान कथित समयों पर कालि-कतः संदेय हो ।

श्रनुच्छेद 14

(1) अनुष्छेद 12 के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि संविदाकारी राज्यों में से एक में ऐसे व्यष्टि द्वारा जो दूसरे संविदाकारी राज्य में का निवासी है कर्मचारी के रूप में की गई सेवाओं के लिए संबलम मजदूरी या धन्य वैसे ही परिश्रमिक पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें ऐसी सेवाएं की जाती हैं।

(2) इस ग्रनुच्छेद के पैरा (1) के उपबन्धों के होने हुए भी ऐसे व्यष्टि को जो संविदाकारी राज्यों में से एक का निवासी हो दूसरे संविदाकारी राज्य में की गई सेवायो हे लिए संदत्त संबलम मजदूरी या भ्रन्य समरूप पारिश्रमिक पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर नहीं जगाया जाएगा श्रौर पूर्व कथित संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा यदि :---

- (क) वह उस दूसरे संविदाकारी राज्य में संपृक्त कराधेय वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 183 दिन से ग्रनधिक की कालावधि या कालावधियों के लिए उपस्थित रहा है ग्रौर
- (ख) पारिश्रमिक ऐसे नियोजक के द्वारा या की ग्रीर से संदत्त किया जाता है जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी नहीं है तथा
- (ग) पारिश्रमिक की कटोती ऐसे स्थायी स्थापन के जिस पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर प्रभार्य हैं, लाभों की संगणना में नहीं की गई हैं।

(3) इस मनुच्छेद के पैरा (1) घोर (2) के उपबन्धों के होते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में संविदाकारी राज्यों में से एक के उद्यम द्वारा संचालित पोत या विमान के फलक पर की गई वैयबितक सेवाम्रों के लिए पारिश्रमिक पर कर केवल उसी संविदाकारी राज्य में लगाया जाएगा ।

श्रनुच्छेद 15

(1) किसी संविदाकारी राज्य के निवासी को वृत्तिक सेवाग्रों या वैसी ही प्रकृति के श्रन्य स्वतन्त्र कियाकलापों के बारे में व्यत्पन्न श्राय पर कर केवल ऐसे संविदाकारी राज्य में लगाया जाएगा जहां ऐसी सेवाएं या कियाकलाप किए जात हैं।

(2) नाट्य चलचित्र रेडियो या टेलीविजन कलाकारों और संगीतकों जैसे लोक मनोरंजन⊸ कर्ताम्रों को तथा खिलाड़ियों को उस हैसियत में ग्रपने वैयक्तिक कियाकलापों से व्युत्पन्न ग्राय पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा जिसमें ऐसे कियाकलाप किए जाते है

ग्रनुच्छेद 16

संविदाकारी राज्यों में से एक के उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के ऊधम द्वारा की गई तकनीकी सेवाओं के लिए सदत्त रकमों पर प्रथमवणित संविदाकारी राज्य में कर वहां तक के सिवाय नहीं लगाया जाएगा जहां तक कि ऐसी रकमें प्रथमवणित संविदाकरी राज्य में वस्तुतः किए गए कियाकलापों से हुई समझी जा सकती है। ऐसे कर लगाई गई श्राय की संगणना में उस संविदाकारी राज्य में किए गए कार्यकलापों के संगम में प्रथम वर्णित संविदाकारी राज्य में उपगत व्ययो की कटॉती भ्रनज्ञात की जाएगी।

ग्रनुच्छेद 17

(1) संविदाकारी राज्यों में से एक के ऐसे निवासी पर जो दूसरे संविदाकारी राज्य में के किसी विश्वविद्यालय] कालेज स्कूल या ग्रन्य मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्था के निमंत्रण पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसी शिक्षा संस्था में केवल शिक्षण या गवेषणा करने के प्रयोजन के लिये दो वर्ष से ग्रनधिक की कालावधि के लिए जाता है ऐसे शिक्षण या गवेषणा के लिए उसके पारिश्रमिक पर उस दूसरे मंविदाकारी राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा ।

- ----

(2) यह अनुच्छेद उस व्यप्टि को जो गवेषणा में लगा है केवल तभी लागू होगा, जब कि ऐसे गवेषणा के परिणाम साधारण जनता को अबाधतः उपलब्ध हों।

ग्रनुच्छेद 18

(1) जो व्यटि संविदाकारी राज्यों में से एक का निवासी है ग्रौर दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल मान्न :--

- (क) उस दूसरे संविदाकारी राज्य में के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, कालेज या स्कूल के विद्यार्थी के रूप में, प्रथवा
- (ख) कारवार-शिशिक्ष के रूप में, अथवा
- (ग) पूर्ववर्ती संविदाकारी राज्य के सरकारी, धार्मिक, खराती, वैज्ञानिक, साहिस्यक या ग्रैक्षणिक संगठन से ग्रध्ययन या गवेषणा के प्रायमिक प्रयोजन के लिए ग्रनुदान भत्ता या पुरस्कार पाने वाले के रूप में श्रम्थायी तौर पर उपस्थित है उस पर यथास्थिति :---
 - (1) उसके भरण-पोषण णिक्षा प्रशिक्षण प्रध्ययन या गवेषणा के प्रयोजनों के लिए बाहर से प्रेषित राणियों पर श्रीर
 - (11) उस दूसरे संविदाकारी राज्य में नियोजन के लिए पारिश्रमिक के प्रतिनिधित्व स्वरूप किसी रकम के बारे में यदि वह नियोजन उसके प्रध्ययन या उस के प्रशिक्षण से सम्बद्ध है या यदि वह उसके भरण-पोषण के लिए ग्रावण्यक है तथा
- (111) उस अनुदान भक्ते या पुरस् कार पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा।

(2) जो व्यष्टि संविदाकारी राज्यों में मे एक का निवासी है और उस संविदाकारी राज्य के उद्यम या ऊपर के पैरा (1)(ग) में निदिष्ट संगठन के कर्मचारी के रूप में या उसके साथ संविदा के अधीन केवल तकनीको वृत्तिक या कारबार सम्बन्धी अनुभव ऐसे उद्यम या संगठन से भिन्न व्यक्ति से श्रीजन करने के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में एक वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए अस्थायी तौर पर उपस्थित है उस पर ऐसी कालावधि के लिए उस पारिश्रमिक पर उतनी रकम तक जो दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले पारिश्रमिक को सम्मिलित करते हुए 12000 न्यू फ्रेंच फ्रंक (या णासकीय विनियम दर पर भारतीय करेसी में उसकी समतुल्य राशि) से अनधिक है उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा।

(3) जो व्यष्टि संविदाकारी राज्यों में से एक का निवासी है ग्रौर दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार या उस के किसी ग्रभिकरण के साथ हुए ठहरावों के ग्रधीन उस दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल प्रशिक्षणक्रध्ययन या अनुस्थापन के प्रयोजन के लिए ग्रस्थायी तौर पर उपस्थित है उस पर ऐसे प्रशिक्षण अध्ययन या अनुस्थापन से प्रत्यक्षतः सम्बन्धि उस की सेवान्नों के लिए किसी कराधेय वर्ष के दौरान ब हर से प्राप्त या अनुस्थापन से प्रत्यक्षतः सम्बन्धि उस की सेवान्नों के लिए किसी कराधेय वर्ष के दौरान ब हर से प्राप्त या उस दूसरे सविदाकारी राज्य में संदत्त पारिश्रमिक पर उसनी रकम तक जो 15000 स्यू फ्रेंच फ्रेंक (या ग्रासकीय विनियम दर पर भारतीय करेंसी में उसकी समतुल्य राणि) से मनधिक है उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा ।

ग्रनुष्छेद 19

(1) संविदाकारी राज्यों में से किसी में प्रवृत्त विधियों उन संविदाकारी राज्यों में भाय के कराधान को यहां के सिवाय जहां कि वर्तमान करार में तत्प्रतिकूल अभिव्यक्त उपबन्ध किया गया है शासित करती रहेगी। किन्तु जो कम्पनी भारत की निवासी है और जिसका फ्रांस में स्थायी स्थापन है और जो क्रांस की साधारण कर संहिता के अनुच्छेद 109.2 के अधीन जंगम पूंजी से झाय पर कर के दायित्वाधीन है उस पर वह कर उस आय पर न लगाया जाएगा जो उन लाभों से आधिक्य में है जो वर्तमान हमारे करार र के स्थापन हो कराया पर कर कर के दायित्वाधीन है उस पर वह कर उस आय पर न लगाया जाएगा जो उन लाभों से आधिक्य में है जो वर्तमान हमारे करार के अनुच्छेद 3 के अनुसार ऐसे स्थायी स्थापन को हए माने जा सकते हैं।

(2) अनुच्छेद 6 और ऊपर के पैरा (1) के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि जहां कि मारस के निवासी की दला में फ्रांस में के श्रोतों से किसी आय पर भारत और फ्रांस दोनों में कर लगाया जाता है वहां भारत ऐसी आय के वारे में संदेय भारतीय कर के लिए और ऐसे भारतीय कर की परिसीमा के भीतर ऐसी आय के बारे में संदय फ्रांसीसी कर लेखे प्रत्यत्र अनुज्ञात करेगा. किन्तु ऐसे कि जहां कि ऐसा निवासी कोई ऐसी कम्पनी है, जिसके द्वारा भारत में अतिकर संदय है वहां पूर्वोक्त प्रत्यत्र प्रथमत : कम्पनी द्वारा भारत में संदय ग्राय कर लेखे और यदि कोई अतिशेष हो तो उसके द्वारा भारत में संदय अतिकर लेखे अनुज्ञात किया जाएगा ।

(3) अनुच्छेद 6 स्रौर ऊपर के पैरा (1) के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि दोनों संविदाकारी राज्यों में कर के अध्याधीन आय के बारे में कर, फ्रांस के किसी निवासी की दशा में निम्नलिखित रूप में अवधारित किया जाएगा :

- (क) अनुच्छेद 7 में वर्णित स्थामिस्थों पर जो भारत के भीतर के स्रोतों से ब्युत्पन्न हुए हैं और जिन पर भारत में कर लगाया गया है, फ्रांस, ऐसे स्वामिस्थों के बारे में संदेथ फ्रांसीसी कर के लिए और ऐसे फ्रांसीसी कर की परिसीमा के भीतर ऐसे स्वामिस्थों के बारे में संदर्भ भारतीय कर लेखे प्रत्यय अन्झात करेगा ।
- (ख) अनुच्छेद 8 में वर्णित व्याज पर जो भारत के भीतर के स्रोतों से व्युत्पन्न हुया है ;
 - (i) ऐसे मामलों में जिनमें ऐसे व्याज पर भारत में कर लगाया गया है फ्रॉस ऐसे व्याज के बारे में संदेय फ्रांसीसी कर के लिए और ऐसे फ्रांसीसी कर की परिसीमा के भीतर ऐसे व्याज के बारे में संदय भारतीय कर लेखे प्रत्यय अनज्ञात करेगा ;
 - (ii) ऐसे मामलों में जिनमें, आ कर प्रधिनियम, 1961 की धारा 10(15) (iV) के प्रवर्तन के कारण ऐसे व्याज पर कोई भारतीय कर संदर्भ नही है, वहां फ्रांस ऐसे व्याज के बारे में संदय फ्रांसीसी कर को उपके पचास प्रतिणत के बराबर की रकम तक घटाएगा ।
- (ग) अनुच्छेद 9 में वर्णित लाभांगों पर, जो भारत के भीतर के स्रोतों व्युत्पन्न हुए हैं फ्रांस ऐसे लाभांगों के बारे में संदर्भ फ्रांसीमी कर के लेख और ऐसे फ्रांसीसी कर की परिसीमा के भीतर ऐसे लाभांगों की सकल रकम के तीस प्रतिशत के बराबर की रकम का प्रत्यय अनुज्ञात करेगा । ऐसे लाभांगों पर फ्रांसीसी कर फ्रांसीसी कर में उन मामलों में जिनमें ऐसे लाभांगों पर भारतीय कर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80अ 80ट और 80ड के प्रवर्तन द्वारा घटाया गया है या छूट प्राप्त है यह समझा जाएगा कि कि ऐसी रकम जो भारतीय कर में में घटायी गई है या जो छूट प्राप्त है भारत में वास्तव में मंदल की गई है ।

(4) ऐसी ग्राय जिस पर वर्तमान करार के उपबन्धों के ग्रनुसार किसी संविदाकारी राज्य में कर नहीं लगाया जाना है ग्राय की उस रकम में सम्मिलित की जा सकेगी जो उस संविदाकारी राज्य में ग्रधिरोधित किए जाने वाते कर को दर को संगणित करने के लिए गणना में ली जानी है ।

ग्रन्डछेव 20

सावदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, प्रार्थना किए जाने पर, (संविदाकारी राज्यों की प्रपनी ग्रपनी कराधान विधियों के ग्रधीन उपलम्क) ऐसी जानकारी का विनिमय करेंगे जैसी वर्तमान करार के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए ग्रावस्यक है। ऐसे विनिमय की गई कोई भी जानकारी गुप्त मानी जाएगी ग्रौर ऐसे व्यक्तियों से भिन्न किन्हीं व्यक्तियों को प्रकट नहीं की जाएगी जो उन करों के जो वर्तमान करार के विषय हैं निर्धारण ग्रौर संग्रहण से सम्पूक्त हैं। तथापि ऐसी किसी भी जानकारी का विनिमय नहीं किया जाएगा जिससे कोई व्यापार, कारबार, ग्रौद्योगिक या वृत्तिक भेद या कोई भी व्यापार प्रक्रिया प्रकट हो ।

मनुच्छेर 21

संविदाकारी राज्यों में से एक के राष्ट्रिक दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसे किसी कराघान या तत्संसक्त थ्रपेक्षा के श्रध्यधीन नहीं किए जाएंगे जो उस कराघान और संसक्त ध्रपेक्षाग्रों से भिन्न या झधिक भारपूर्ण हैं जिसके श्रध्यधीन कि उस दूसरे संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिक वैसी ही परिस्थितियों में हैं या हो सकते हैं। विशिष्टतया, एक संविदाकारी राज्य के वे नागरिक, जिन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाता है, किसी छूट, कटौती, प्रत्यय या श्रन्य मोक के जो कौटुम्बिक परिस्थितियों को ध्यात में रखकर दी जाए, उसी विस्तार तक हकदार होगे जिस तक कि उस दूसरे संविदाकारी राज्य के नागरिक ।

मनुष्छेर 22

(1) जहां कि एक संविदाकारी राज्य का निवासी यह समझता है कि संविदाकारी राज्यों में से एक या दोनों को कार्यवाहियों के फलस्वरूप उस पर ऐसा कराधान हुया है या होगा जो वर्तमान करार के उववन्धों के प्रनुसार नहीं हूँ वहां वह, संविदाकारी राज्यों की राष्ट्रीय विधियों द्वारा उपबन्धित उपचारों के होते हुए भी, प्रपने मामने को उस संविदाकारी राज्य के, जिसका वह निवासी है, समक्ष आधिकारी के समक्ष उपस्थापित कर सकेगा ।

(2) सक्षम प्राधिकारी, यदि उसे वह आक्षेप न्यायोचित प्रतीत होता है और यदि वह समुचित हल निकालने में स्वयं समर्थ नहीं है, तो वर्तमान करार के प्रनुसार न होने वाले कराधान से बचने की दृष्टि से दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ प्रापसी करार द्वारा मामले को हल करने का प्रयास करेगा।

(3) संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी वर्तमान करार के निर्वचन या लागू होने के बारे में उद्भृत होने वाली किन्हों कठिनाइयों को ग्रापसी करार द्वारा हल करने का प्रयास करेंगे ।

(4) संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पूर्ववर्ती पैराय्रों के भाव में किसी सहमति पर पहुंचने के प्रयोजन के लिए एक दूसरे से सीधे वार्ताचार कर सकेंगे ।

मन्च्छेर 23

(1) वर्तमान करार या तो अपने समग्र रूप में या आवण्यक उपान्तरों सहित, फांसीसी गणराज्य के समुद्रपारस्य राज्य क्षेत्रां पर विस्तारित किया जा सकेगा जो कि सारतः वैसे ही स्वरूप के कर झांध-रोपित करते हैं जिन पर वर्तमान करार लागू होता है। ऐसा कोई विस्तार ऐसी तारीख से झौर ऐसे उपान्तरों झौर (पर्यवसान के बारे में की शतों के सहित) ऐसी शर्तों के अध्यधीन प्रभावशाली होगा जैसी संविदाकारी राज्यों के बीच राजनयिक माध्यमों द्वारा विनिमयित पत्नों में विनिधिष्ट की जाएं भीर करार पाइ जाएं।

(2) जब तक कि दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा ग्रन्थथा करार न किया जाए संविदाकारी राज्यों में से एक के द्वारा श्रनुच्छेद 25 के पैरा (3) के ग्रधीन वर्तमान करार का पर्यावसान, वर्तमान करार का किसी ऐसे राज्य क्षेत्र को, जिसको यह इस श्रनुच्छेद के ग्रधीन विस्तारित किया गया है, लागू होना भी पर्यवसित कर देगा

प्रनुच्छेब 24

दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी भ्रपने ग्रपने संविदाकारी राज्यों में वर्तमान करार को प्रभावी करने के लिए श्रावध्यक विनिथम विहित करने के लिए यथायक्यकतानुसार एक साथ परामर्श कर सर्केंगे । वर्तमान करार को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए वे एक दूसरे से सीधे वार्ताचार कर सर्केंगे ।

भ्रतुराष्ट्रेव 25

(1)^र धर्तमान करार दोनों राज्यों में से हर एक में प्रवृत्त विधियों के श्रनुसार झनुमोदित किया आएगा । यह इस बात को प्रमाणित करने वाले, कि हर एक राज्य में समुचित प्रक्रिया पूरी की गई थी, पत्नों के विनिमय के तीस दिनों के पश्चात प्रवृत्त होगा । पत्नों का विनिमय नई दिल्ली में होगा ।

- (2) तदुपरिः वर्तमान करार :
 - (क) भारत में, उस क्लेंडर वर्ष की जिसमें पत्नों का विनिमय होता है जनवरी के प्रथम दिन को या तत्पश्चात स्रारम्भ होने वाले ''पूर्व वर्षों'' के दौरान व्युत्पन्न झाय के बारे में लागू होगा ;
 - (ख) फ़ांस में, उस क्लेंडर वर्ष की जिसमें पत्नों का विनिमय होता है जनवरी के प्रथम दिन को या तत्पश्चात ग्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्षों के दौरान व्युत्यन्न ग्राय के बारे में, लागू होगा ।

(3) यह करार अनिश्चित काल तक प्रभावशील बना रहेगा किन्तु, संविदाकारी राज्यों में से कोई. 1971 के पश्चात किसी भी क्लेंडर वर्ष में जून के तीसवें दिन को या तत्पूर्व दूसरे संविदाकारी राज्य को पर्यवसान की सूचना दे सकेगा और ऐसी दशा में वर्तमान करार :

> (क) भारत में, उस क्लेंडर वर्ष के जिसमें ऐसी सूचना दी जाती है निकट ग्रागामी क्लेंडर वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को या तत्पप्रचात आरम्भ होने वाले "पूर्व वर्षों" के दौरान व्युत्पन्न श्राय के बारे में प्रभावी नहीं रद्देगा ;

- - - - -

(ख) फ्रांस में उस क्लेंडर वर्ष के, जिसमें ऐसी सूचना दी जाती है, निकट ग्रागामी कलेंडर वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को या तत्पक्ष्चात ग्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्षों के दौरान व्यत्यन्न ग्राय के बारे में प्रभावी नहीं रहेगा।

जिसके साक्ष्य में, उसके लिए सम्यक्तः प्राधिकृत श्रधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

पैरिस में 1969की मार्च के 26 दिन फांसीसी श्रौर हिन्दी भाषाझों में दो प्रतियों में किया गया दोनों पाठ समानत: प्रामाणिक होंगे ।

भारत सरकार की श्रोर से	फांसीसी गणराज्य की सरकार की ग्रोर से
	हस्ताक्षर
S/d.— D. N. CHATTERJFE	Sd./ Herve Alphand
	पैरिस, 26 मार्च, 196 9

श्रीमान महा सचिव

श्रीय पर करों के बारे में दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत श्रौर फ्रांस गणराज्य की सरकारों के बीच करार के स्राज हस्ताक्षरित होने पर मुझे, प्रपनी सरकार की स्रोर से निम्नलिखिन रूप में प्रस्थापित करने का सम्मान प्राप्त है :

(1) जब कि संविद्याकारी राज्यों में से एक का कोई निवासी दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को मशीनरी के विकय के प्रार्डर की पूर्ति करता है और यह मशीनरी के विकय का श्रानु-षंगिक है कि प्रथम वर्णित संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा नियोजित व्यक्ति या व्यक्तियों को दूसरे संविदाकारी राज्य में मशीनरी के प्रतिष्ठापन में सहायता करने के लिए वहां जाना चाहिए तब ऐसा कियाकलाप स्थायी स्थापन गठित करने वाला नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह तीन मास से अधिक को कालावधि के लिये न किया आए या ऐसे कियाकलाप पर उपगत व्यय आर्डर की कुल विकय कीमत के 10 प्रतिशत से अधिक न हो ।

(2) (क) जब कि कोई व्यक्ति, जो भारत का निवासी है, भारत सरकार और फ्रांसीसी गणराज्य की सरकार के बीघ सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहकारिता से सम्पूक्त तारीख 7 जून 1966 के करार के निवन्धनों के झधीन किसी क्रियाकलाप के संसंग में फ्रांस जाता है तो उस पर ऐसे क्रियाकलाप के संसंग में उस द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक के बारे में फ्रांस में कर नहीं लगाया जाएगा ।

(ख) जब कि कोई व्यक्ति, जो फ्रांस में श्रधिवसित था, भारत सरकार और फ्रांसीसी गणराज्य की सरकार के बीच सांस्कृतिक, वैंशानिक और तकनीकी सहकारिता से सम्पुक्त तारीख 7 जून 1966 के करार के निबन्धनों के श्रधीन किसी कियाकलाप के संसंग में भारत जाता है तो उस पर ऐसे कियाकलाप के संसंग में उस ढारा प्राप्त पारिश्रमिक के बारे में भारत मे कर नहीं लगाया जाएगा। ऐसी दशा में फ्रांस में के श्रोतों से प्राप्त ऐसे पारिश्रमिक का भाग फ्रांसीसी ब्रायकर के श्रध्यधीन होगा।

122

मैं अनुगृहीत होऊंगा यदि झाप उपरोक्त प्रस्थापनाझों पर श्रपनी सहमति की पुष्टि कर दें भौद ऐसी दशा में, यह पक्ष भौर इस पर श्रापका उत्तर, करार का भाग समझे जाएंगे ।

श्रीमान महा सचिव, कृपया मेरी ग्रोर से उच्चतम प्रसिष्ठा का ग्राग्वासन स्वीकार करें । ह्0 Sd./— *O*. N. Charterjee

मोस्यों हार्वे भलफण्ड, महा सचिव, विदेश[े]मंज्ञालय, पैरिस[े]।

पैरिस, 26 मार्च, 1969

श्रीमान राजदूत महोदय,

भाज की तारीख के ग्रंपने पत्न द्वारा श्रापन भारत सरकार की ग्रोर से मुझे निम्नलिखित की सूचना दी थी:—

''माय पर करों के बारे में दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत भ्रौर फ्रांस गणराज्य की सरकारों के बीच करार के भ्राज हस्ताक्षरित होने पर मुझे, भ्रपनी सरकार की भ्रोर से, निम्नलिखत रूप में प्रस्थापित करने का सम्मान प्राप्त है :

(1) जब कि संविदाकारी राज्यों में से एक का कोई निवासी दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को मभीनरी के विकय के आईर की पूर्ति करता है और यह मशीनरी के विकय का आनु-षंगिक है कि प्रथम वर्णित संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा नियोजित व्यक्ति या व्यक्तियों को दूसरे संविदाकारी राज्य में मशीनरी के प्रतिष्ठापन में सहायता करने के लिए वहां जाना चाहिए, तब ऐसा कियाकलाप स्थायी स्थापन गठित करने वाला नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह तीन मास से अधिक की कालावधिके लिए न किया जाए या ऐसे क्रियाकलाप पर उपगत व्यय आईर की कुल विकय कीमन के 10 प्रतिगत से अधिक न हो ।

(2) (क) जब कि कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार का निवासी है, भारत सरकार श्रौर फ्रांसीसी गणराज्य की सरकार के बीच सांस्कृतिक, वैज्ञानिक श्रौर तकनीकी सहकारिता से सम्पूक्त तारीख 7 जून, 1966 के करार के निवन्धनों के श्रधीन किसी कियाकलाप के संसंग में फ्रांस जाता है तो उस पर ऐसे कियाकलाप के संसैंग में उस द्वारा प्राप्त पारिश्वमिक के बारे में फ्रांस में कर नहीं लगाया जाएगा।

(ख) जब कि कोई व्यक्ति, जो फ़ांस में ग्रधिवसित था, भारत सरकार ग्रौर फ़ांसीसी गणराज्य की सरकार के बीच सांस्कृतिक, बैजानिक ग्रौर तकनीकी सहकारिता से सम्पुक्त तारीख 7 जून, 1966 के करार के निबन्धनों के ग्रधीन किसी कियाकलाप के संग में भारत जाता है तो उस पर ऐसे कियाकलाप के संसंग में उस द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक के बारे में भारत में कर नहीं लगाया जाएगा । ऐसी दशा में, फ़ांस में के स्रोतों से प्राप्त ऐमे पारिश्रमिक का भाग फ़ांसीसी आयकर के ग्रध्यधीन होगा ।'' मुझे ग्रापको यह सूचित करने का सम्मान प्राप्त है कि इस प्रस्थापना को फ्रांसीसी गणराज्य की सरकार का अनुमोदन प्राप्त है । ग्रतः इस बात की पुष्टि की जाती है कि म्रापका म्राज की तारीख का पत्न श्रौर उस पर मेरा उलार, करार का भाग होंगे ।

श्रीमान् राजदूत महोदय, कृपया मेरी स्रोर से उच्चतम प्रतिष्ठा का स्नाग्यासन स्वीकार करें ।

(E.) HERVE ALPHAND

[नं॰ 20/एफ॰ सं॰ 11 (33-ए)-63 टी. पी. एल.]

रामेक्यर नाथ मुट्टू, अपर सचिव।

परम भवान श्री डी० एन० चटर्जी, भारत का राजदूत, पैरिस ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW LIELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970